FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम नांगल

रामचन्द्र बनाम रामा राम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. .... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/4/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) नांगल	
21/04/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 11/08/2021 को पेश हो। [initials]	
11/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक - 04/12/2021 को पेश हो। [initials]	

04/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय गाँवो के संग अभियान-2021 कैम्पो में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-25/02/2022 को पेश हो।

25/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढ से सेढ आई हुई है। खेतों के मध्य जो पुरानी मेढे व डोले आये हुए थे जो बरसात व आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइशबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 79 दिनांकः– 25/2/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रायचन्द पुत्र फूसाराम जाति जाट, निवासी भगोंणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. रामाराम पुत्र फूसाराम वगैरा 16 जाति जाट, निवासी भगोंणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 86 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – भादुओं की ढाणी, पटवार मण्डल – माडपुरा बरवाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 161 / 83 रकबा 5.6711 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 80–84 दिनांकः– 25/2/2022

प्रतिलिपिः–निम्न **को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रायचन्द पुत्र फूसाराम
4. विप्रार्थी श्री रामाराम पुत्र फूसाराम वगैरा 16
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु